न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2022 उनवान पूसा बनाम भागचन्द वगै.

पूसा पुत्र छीतर, जाति जाट, उम्र लगभग 75 साल निवासी ग्राम दादीया, तहसील अरांई, पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

———प्रार्थी

बनाम

1. भागचन्द दत्तक पुत्र रामधन, जाति जाट, निवासी ग्राम दादीया, तहसील अरांई, पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. इन्द्रा पुत्री रामधन, पत्नि श्री रिद्धकरण, जाति जाट, निवासी दादीया हालनिवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. नन्दा पुत्र देवी, जाति जाट, निवासी ग्राम दादीया, तहसील अरांई, पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. मानी पुत्री रामधन, पत्नि सोराम, जाति जाट, निवासी ग्राम दादीया, हालनिवासी ढाणी, कटसूरा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. सांवरा पुत्र छोटू, जाति जाट, निवासी ग्राम दादीया, तहसील अरांई, पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. काली देवी पत्नि श्री भागचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम दादीया, तहसील अरांई, पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. श्रीमान तहसीलदार महोदय, अरांई जिला अजमेर राजस्थान

—— अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 06.04.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री प्रकाश चन्द ने अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 15.09.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 102/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। दिनांक 07.10.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से दिनांक 24.03.2023 को अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 24.03.2023 को प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि खसरा संख्या 1350/3191 क्षेत्रफल 0.6068 हैक्टेयर (किस्म बारानी–2) वाके ग्राम दादीया, पटवार हल्का दादीया, भू.अ.नि. दादीया, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है तथा उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है, प्रार्थी की उक्त भूमि से किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

अन्य का कोई संबंध सरोकार नहीं है। **खसरा संख्या 1350/3191 क्षेत्रफल 0.6068 हैक्टेयर** की चारों सीमाओं पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1349, 1350/3192, 1350/3190, 1324, 1369 स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 06 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 06 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 06 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 06 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। इस कारण प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सद्‌भाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी का श्रीमान न्यायालय से निवेदन हे कि प्रार्थी की ग्राम दादीया, पटवार हल्का दादीया, भू.अ.नि.क्षेत्र दादीया, तहसील अरांई, जिला अजमेर स्थित खातेदारी कृषि आराजी **खसरा संख्या 1350/3191 क्षेत्रफल 0.6068 हैक्टेयर** के सीमाओं का राजस्व रिकार्ड अनुसार भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित कर प्रार्थी को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम दादीया, पटवार हल्का दादीया, भू.अ.नि.क्षेत्र दादीया, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसका खसरा संख्या 1350/3191 क्षेत्रफल 0.6068 हैक्टेयर (किस्म बारानी–2) है। प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम दादीया, पटवार हल्का दादीया, भू.अ.नि.क्षेत्र दादीया, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

संख्या 1350/3191 क्षेत्रफल 0.6068 हैक्टेयर स्थित है तथा उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है, प्रार्थी की उक्त भूमि से किसी अन्य का कोई संबंध सरोकार नहीं है। **खसरा संख्या 1350/3191 क्षेत्रफल 0.6068 हैक्टेयर** की चारों सीमाओं पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1349, 1350/3192, 1350/3190, 1324, 1369 स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 06 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 06 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 06 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 06 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। इस कारण प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सद्भाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी का श्रीमान न्यायालय से निवेदन हे कि प्रार्थी की ग्राम दादीया, पटवार हल्का दादीया, भू.अ.नि.क्षेत्र दादीया, तहसील अराईं, जिला अजमेर स्थित खातेदारी कृषि आराजी **खसरा संख्या 1350/3191 क्षेत्रफल 0.6068 हैक्टेयर** के सीमाओं का राजस्व रिकार्ड अनुसार भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित कर प्रार्थी को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:53 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा प्रार्थी की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया, अतः उपरोकत विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
अराईं (अजमेर)

भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम दादीया, पटवार हल्का दादीया, भू.अ.नि.क्षेत्र दादीया, तहसील अरांई, जिला अजमेर स्थित कृषि आराजी **खसरा संख्या 1350/3191 क्षेत्रफल 0.6068 हैक्टेयर** भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसील अरांई को कमिश्नर फीस 1500/–रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/–रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान् की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:53 IST
Reason: SelfAttested